न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण निग-2584-I-16

एस0 के0 श्रीवास्तव
2-8-16

S.K. Shrivastav Ad.
2-8-16

1. सरजूसिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री अजीतसिंह चौहान
2. श्रीमती मानकुंवर पाल पत्नी स्व0 श्री देवीसिंह
3. गोपीसिंह पुत्र स्व0 श्री मोहनसिंह चौहान
4. राजूसिंह पुत्र स्व0 श्री मोहनसिंह चौहान समस्त निवासीगण-- किले का मैदान टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0

---आवेदकगण

बनाम

1. मायासिंह पुत्री स्व0 श्री देवीसिंह पत्नी श्री संजयसिंह गौर निवासिनी- जेल रोड, टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन ---अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18/07/2016 पारित द्वारा न्यायालय जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण कमांक 561/बी-121/2015-16 व उनवान मायासिंह बनाम म0प्र0 शासन आदि ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2584-एक/2016 जिला टीकमगढ़ सूरज विरूद्ध मायासिंह व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 561/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18-7-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/01/19
सदस्य